न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0
प्रकरण संख्या –48 / 2017

1. मुस0 लीलावती उम्र करीब 40 वर्ष पत्नि स्व. श्री राकेश
2. नरेश उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र स्व. श्री राकेश
3. राजू उम्र करीब 17 वर्ष
4. रविन्द्र उम्र करीब 14 वर्ष
5. धीरज उम्र करीब 11 वर्ष

पुत्रगण स्व. श्री राकेश नाबालिगान सरपरस्ती मा श्रीमती लीलावती पत्नि राकेश समस्त जातिगण कुशवाह निवासी ग्राम नयापुरा तहसील व जिला धौलपुर

————————————————वादीगण

बनाम

1. मुन्ना पुत्र स्व. श्री बाबू
2. राकेश पुत्र स्व. श्री बाबू
3. लोगश्री पत्नि स्व. श्री बाबू
   जातिगण कुशवाह निवासी ग्राम नयापुरा तहसील व जिला धौलपुर
4. सुनीता पुत्री स्व. बाबू पत्नि छोटे निवासी पीलू खेडे की शाला लादूखेडा जिला आगरा उ.प्र.
5. खिलौनी पुत्री स्व. श्री बाबू पत्नि श्री राजवीर उर्फ नहने जाति कुशवाह निवासी कुशवाह बस्ती जगनेर , आगरा , उ0प्र0
6. गुड्डी पुत्री स्व. श्री बाबू पत्नि रामनाथ जाति कुशवाह निवासी ग्राम परौंआ तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
7. हीरादेवी पत्नि श्री मुन्नालाल
8. राजेन्द्र पुत्र श्री भगवान सिंह
9. सियाराम पुत्र श्री भगवान सिंह
10. भगवानसिंह पुत्र स्व. श्री दौजी
11. पूरन सिंह पुत्र स्व. श्री दौजी
12. बतसिया पुत्री दौजी पत्नि रामचरन जाति कुशवाह निवासी बसई नवाब तहसील सैपऊ
13. रतनसिंह पुत्र हुक्मसिंह
14. नत्थी पुत्र हुक्म सिंह
    जातिगण कुशवाह निवासी ग्राम नयापुरा तहसील व जिला धौलपुर

——————असल प्रतिवादीगण

15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा शहर धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबन्धक
16. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबन्धक

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

——————तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:— श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 04.07.2025

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा वास्ते बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकवा 2 बीघा, 36 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा, 37 रकवा 19 बिस्वा, 38 रकवा 1 बिस्वा, 61 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा, 62 रकवा 18 बिस्वा वाके ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर में 1/9 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है। विवादित आराजी शामलाती है जिसका बटवांरा नही हुआ है। अब प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीगण को जबरन बलपूर्वक विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक—पृथक खाता व लगान निर्धारित की जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी खाता संख्या 15 ग्राम विपरपुर व फोटो प्रति एफआईआर पेश की।

दावा वादी दिनांक 29.11.2019 को एकपक्षीय रूप से प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 35 रकवा 2 बीघा, 36 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा, 37 रकवा 19 बिस्वा, 38 रकवा 1 बिस्वा, 61 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा, 62 रकवा 18 बिस्वा वाके ग्राम विपरपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिये गए। तथा तहसीलदार मनियां से आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु परवाना जारी किया।

तहसीलदार मनियां के पत्रांक 433 दिनांक 12.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण ने दावा वादीगण मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया।

वकील वादीगण को एकपक्षीय सुनने उपरान्त विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया। तहसीलदार मनियां द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय वादीगण लीलावती, नरेश, रविन्द्र, व धीरज तथा प्रतिवादीगण रतनसिंह व राकेश मौके पर उपस्थित रहे है जिनके हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा हो रहे है तथा प्रतिवादी सीयाराम व राजेन्द्र भी मौके पर उपस्थित रहे है जिनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किये जाने का अंकन तहसीलदार मनियां द्वारा विभाजन प्रस्तावों में किया है। उक्त प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नही

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

हुआ है तथा उनकी ओर से विभाजन प्रस्तावों पर कोई आपत्ति पेश नही की है। अतः हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 35 रकवा 2 बीघा, 36 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा, 37 रकवा 19 विस्वा, 61 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा, 62 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर का निम्नानुसार खातेदारों के मध्य विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है0)
1.	लीलावती पत्नि राकेश, राजू, रविन्द्र, नरेश, धीरज पुत्र राकेश जाति कुशवाह निवासी नयापुरा विपरपुर धौलपुर हिस्सा बराबर खातेदार	37/2 पूर्व	0.1911
2.	शीलादेवी पत्नि राजकुमार जाति कुशवाहा निवासी नगला ताल विल्हैनी बिसामई, आगरा हिस्सा पूर्ण खातेदार	37/1 पश्चिम 36/2 पूर्व	0.0504 0.3288
3.	रतनसिंह, नत्थी पुत्र हुक्मसिंह जाति कुशवाह नि. नयापुरा मजरा विपरपुर हिस्सा बराबर खातेदार	61 62	0.3414 0.2276
4.	बतसिया पुत्र दौजी हि. 582/5817 भगवानसिंह पुत्र दौजी हि. 1746/5817 सियाराम, राजेन्द्र पुत्र भगवानसिंह हि. 1163/5817 मुन्ना, राकेश पि. बाबू, लौंगश्री पत्नि बाबू, सुनीता, खिलौनी, गुड्डी पुत्री बाबू हि.ब. 1163/5817 किन्नो पत्नि पूरनसिंह, ईश्वरदेई प्रेमवती मुन्नी पुत्रीयान पूरनसिंह हि.ब. 1163/5817 जातिगण कुशवाह खातेदार	36/1 पश्चिम 35	0.0759 0.5058

ख.नं. 38 रकवा 0.0126 है0 गै0मु0 कुंआ मुताबिक जमाबंदी शामिल खातेदारी में रहेगा तथा रहन के इन्द्राजाता बदस्तूर कायम रहेगें। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर